

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-२ के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का कार्य  
भाग-१

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क्र.सं.	विवरण	क्रियान्वयन
१.	<p>परियोजना विवरण :-</p> <p>क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संशिप्त विवरण।</p> <p>ख) १:५०,००० स्केल मैप पर दन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शनी वाला मैप।</p> <p>ग) परियोजना की जागत।</p> <p>घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का अंतिमित्य।</p> <p>ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)</p> <p>च) रोजगार जिनके पैदा होने की समावना है।</p>	<p>जनपद के <u>उत्तरांध्र</u> विभास खण्ड <u>तारीखीत</u>... में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from <u>गगात - इष्टीघारीखाल</u>...  <u>क्षात्रिया</u>..... (Total Length- १५ KM) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल विछाने हेतु अपेक्षित स्थिति एवं सोयम वनभूमि ०:४५ है। वन भूमि का वन (संख्या) अधिनियम, १९८० के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु।</p> <p>संलग्न है।</p>
२.	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण -	०:४५... है। वन भूमि
३.	<p>परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।</p> <p>क) परिवारों की संख्या</p> <p>ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या</p> <p>ग) पुनर्वास घोजना (संलग्न किये जाने के लिए)</p>	<p>नहीं</p> <p>रहना</p> <p>भूमि</p> <p>रहना</p>
४.	क्या पर्यावरण (संख्या) अधिनियम, १९८६ के अन्तर्गत मन्त्री आवश्यक है? (हाँ/नहीं)	हाँ
५.	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण वनी लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संख्यण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण वनी वननवद्धता (वननवद्धता संलग्न की जाये)	भारत सरकार / उत्तरांध्र राज्य द्वारा प्रतिपूरक कृषारोपण हेतु लगाई जाने वाली समस्त रातों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
६.	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर



मोहर

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

## भाग - II

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

7.	परियोजना रकीम का स्थान	जनपद <b>उत्तर प्रदेश</b> के विकास खण्ड <b>तारीखन</b> में RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial (Approx 35 Poles per KM) from ..... <b>रामास - विघारीखाल - खानिया</b> (Total Length <b>15</b> KM) तक मोटर राह के किनारे ऑप्टिकल फाइबर के बिल बिछाने हेतु अपेक्षित सिविल एवं सोयम वनभूमि <b>0.45</b> हेक्टर वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गोर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को वन भूमि में अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	ज़िला	<b>उत्तर प्रदेश</b>
(iii)	वन प्रभाग	<b>उत्तर प्रदेश</b> प्रभाग
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टर में)	<b>0.45</b> हेक्टर वन भूमि
(v)	वन की कानूनी स्थिति	..... हैक्टर, आरक्षित वन भूमि <b>संलग्नी कक्ष सं-27</b> ..... हैक्टर, सिविल सोयम भूमि ..... हैक्टर, पंचायत वन भूमि ..... हैक्टर नापनुगमि
(vi)	हारियाली का घनत्व	0.1
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिष्ठि श्रेणीवार वृक्षों की परिणाम (संलग्न की जाए)। सिंचाइ / जलीय परियोजनानालों के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिणाम और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष वाधित / प्रमावित होने निहित नहीं है।
(viii)	भूमिका के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	— —
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित / चयनित कार्य स्थल सिविल एवं सोयम वन के अन्तर्गत हैं।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कारोड़ोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संरथा द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं-0 — ..... पर चस्पा है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनरपति और प्राणिजात की दुलभ / संकटापन / विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं (यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा दे।	नहीं।

(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुश्तत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण रमारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एवं राजरव विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... पर चर्चा है।
8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के बीचों के साथ मद-वार सरतुत क्षेत्र चया है।	इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... पर चर्चा है।
9.	क्या अधिनेयम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का व्यौरा दे द्या उल्लंघन राबड़ी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	अपेक्षित वन भूमि की मात्रा 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चर्चा है।
(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित बनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मात्रा 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्रावक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चर्चा है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित बनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोग्राफी मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय / लोकशन मानचित्र प्रावक्कलन के साथ संलग्न है।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातियाँ— जलवायु के अनुरूप निश्चित प्रजातियाँ। कार्यान्वयन एजेंसी— स्वयं वन विभाग। समय— उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर। लागत— प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० ..... (रु० ..... मात्र) का प्रावक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चर्चा है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	हेतु रु० ..... (रु० ..... मात्र)
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्रावक्कलन एवं मानचित्र प्रतिक्रस्ताक्षरित य प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 ,गपए गपद्वय 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें )	फील्ड सरक के अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिक्रस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... पर चर्चा है।
12.	विभाग /जिला प्रोफाइल	जोशीमठ वन प्रभाग /जिला— <b>उत्कीड़ा</b>
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	308800 वर्ग किमी०
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	211691 वर्ग किमी०
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 469 है। बनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 6333.92 है० वन क्षेत्र है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 4308.09 है० है।
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के लिए प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :- (ख) बनेतर भूमि पर:-	(क) 4303.09 है० है (ख) 768.59 है० है

## भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष,  
वन विभाग ह्वारा भरे जाने के लिए)

- 17— टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने  
या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की  
विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।  
(राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक  
अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल  
टिप्पणी की सुर्यष्ट समीक्षा की जाय  
और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय)

हस्ताक्षरः

तिथि :  
स्थान :

नाम और पदनाम  
सरकारी भोहर

## भाग-V

(वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी  
जो अपर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो, द्वारा भरा जाना है)

17- राज्य सरकार की सिफारिशः

(उपर्युक्त भाग-|| या भाग-||| या

भाग-IV में किसी अधिकारी या प्राधिकारी  
द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर  
विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

हस्ताक्षरः

तिथि :

स्थान :

नाम और पदनाम  
सरकारी मोहर